

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/14872

दिनांक : 16 अगस्त 2013

श्री निर्मल कुमार वर्मा पुत्र श्री ताराचन्द वर्मा,
(मेरिट क्रमांक 352/2011)
231/31 नोन करण का अहाता,
गोपाल जी मन्दिर के पीछे, नगरा,
अजमेर 305001

विषय:- लेखाकार पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं
चरित्र सत्यापन करवाने बाबत।
प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 9480-526 व 14956 दिनांक क्रमशः 05.09.12 एवं
16.01.2013

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/क0लेखाकार सीधी
भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011 में सफल घोषित होने पर आपका नाम लेखाकार पद पर नियुक्ति
हेतु इस विभाग को भिजवाया गया, जिसके क्रम में नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व आपको निम्न
कार्यवाही सम्पादित किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 9480-526 व 14956 दिनांक क्रमशः 05.09.12
एवं 16.01.2013 द्वारा विभाग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

- (1) आपके फार्म में अंकित तथ्यों का आपके मूल प्रमाण-पत्रों से सत्यापन।
- (2) आपके चरित्र का जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सत्यापन करवाना जाना आवश्यक है।
- (3) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण (Medical Fitness Certificate)
कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (4) 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संलग्न शपथ-पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत
किया जाना है।

किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक विभागीय निर्देशों की अनदेखी की जाकर उक्त कार्यवाही पूर्ण
नहीं गयी है। अतः आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन
करवाने संबंधी प्रपत्र (अटेस्टेशन फार्म) की दो प्रतियां एवं शपथ-पत्र के प्रारूप की प्रति एवं अपने शैक्षणिक
योग्यता, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विकलांगता आदि (यदि लागू हो तो) संबंधी मूल
प्रमाणपत्रों के साथ कृपया दिनांक 29 अगस्त 2013 को कार्यालय समय में निदेशालय कोष एवं लेखा ब्लॉक
"ए" कमरा नम्बर 306, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्रों की
जांच एवं चरित्र सत्यापन आदि उक्त समस्त कार्यवाही करावें ताकि आपकी नियुक्ति संबंधी कार्यवाई की जा
सके। उक्त कार्य के लिए उपस्थित होने पर आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

उक्त दिनांक को उपस्थित न होने की स्थिति में यह मानते हुए कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु
इच्छुक नहीं हैं, आपकी लेखाकार पद की नियुक्ति हेतु पात्रता रद्द कर दी जावेगी एवं तदनुसार राजस्थान
लोक सेवा आयोग को सूचित कर दिया जावेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

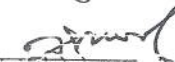
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/14873

दिनांक : 16 अगस्त 2013

प्रतिलिपि उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)